न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरडका बनाम कम्मु उर्फ कल्लू पुत्र प्यारेलाल जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण सँख्या :– RA/24 निर्णय दिनाँक :– 20/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रानौता की आ॰ख॰न॰ 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गै॰मु॰ तलाई में से 0.15 रकबे पर श्री कम्मु उर्फ कल्लू पुत्र S/o प्यारेलाल जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर .... कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरडका द्वारा दिनाँक 6/5/22 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू॰अ॰निरी॰ दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी कम्मु उर्फ कल्लू S/o प्यारेलाल जाति जाट निवासी रानौता को भू॰ राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नही आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ॰ख॰न॰ 112 रकबा 3.00 है॰ में से 0.15 है॰ रकबे किस्म गै॰मु॰ तलाई है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा नॉरसायम को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 2.79 Paise की 50 गुणा 140/- (एक सौ चालीस रु॰) रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरडका भू॰अ॰निरी॰ दरौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)